संख्या-02/2020/256/जेड/6-सा-3-2020-बजट(01)/2020

प्रेषक,

सूर्य कुमार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक/सचिव,
उ0प्र0 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद,
लखनऊ।

राजनैतिक पेंशन अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 08 अप्रैल, 2020

विषय: स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को पेंशन/आनुतोषिक हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये धन का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के समस्त जनपदों के राज्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पेंशन/आनुतोषिक हेतु श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष **2020-21** के बजट में प्रावधानित धनराशि **रू0 45,00,00,000/- (रू0 पैंतालिस करोड़ मात्र)** की वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक-24-03-2020 में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय समस्त वित्तीय नियमों एवं स्थायी आदेशों के अनुसार किया जायेगा। धनराशि के प्रदेशन मात्र से ही व्यय करने का अधिकार नहीं हो जाता, जहॉ सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अपेक्षित हो, व्यय करने से पूर्व अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा आवंटित धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाय।

3- वित्तीय स्वीकृतियों में आवश्यकतानुसार धनराशि का कोषागार से किश्तों में आहरण सुनिश्चित किया जाय।

4- उक्त धनराशि से सम्बन्धित व्यय विवरण प्रशासनिक इकाईयों/जनपदों से प्राप्त कर नियमित रूप से महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उ0प्र0 प्रयागराज को प्रतिमाह के प्रथम सप्ताह में भेजा जाय, जिसकी एक प्रति शासन को भी प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाय, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की संख्या एवं धनराशि का पूर्ण व्यय विवरण का स्पष्ट उल्लेख किया जाय।

5- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-28 के लेखा शीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-107-स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना-03-स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा उनके आश्रितों को पेंशन-33-पेंशन/आनुतोषिक/अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ" के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

सूर्य कुमार
संयुक्त सचिव।

क्रमशः 2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या:02(1)/2020/256(1)जेड/6-सा-3-2020, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।

2-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।

3-वरिष्ठ आडिट ऑफिसर (आडिट/प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, सत्यनिष्ठा भवन, 15-थार्नहिल रोड, प्रयागराज ।

4-समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया पेंशन मद में व्यय की गयी धनराशि का व्यय विवरण निदेशक/सचिव, उ0प्र0 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद, लखनऊ एवं महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज को उपलब्ध कराते हुये उसकी एक प्रति शासन को भी उपलब्ध करायें तथा अतिरिक्त धनराशि का आवंटन अथवा बचत/समर्पण की सूचना के सम्बन्ध में निदेशक/सचिव, उ0प्र0 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद लखनऊ से अनुरोध करने का कष्ट करें।

5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

6- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12, उ0प्र0 शासन।

8- राजनैतिक पेंशन अनुभाग-1/2/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद अनुभाग/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण संस्थान।

9- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

सूर्य कुमार
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।